यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/82/2017 **दिनांक :** 21.09.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

संसद मोर्चा

जैसा कि हमारे विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया है कि यूएफबीयू के आह्वान पर एक शानदार मोर्चा संसद पर गया और यूएफबीयू के प्रतिनिधिमण्डल ने वित्त मंत्री को अपना ज्ञापन भी प्रस्तुत किया। यद्यपि इस भव्य आयोजन से यूएफबीयू की 2 घटक यूनियनें नोबो तथा एनओबीडब्लू अलग रहीं, फिर भी इसकी सफलता अपने आप में एक मिशाल है। इस सन्दर्भ में हम एक संक्षिप्त विवरण जो एआईबीईए ने अपने परिपत्र संख्या 28/27/2017/27 दिनांक 20.09.2017 के माध्यम से भेजा है का अनूदित सार नीचे दे रहे हैं जिससे कि जो साथी इस मोर्चे में सम्मिलित होने से वंचित रह गये थे उन्हें इसकी जानकारी मिल सके।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

हमारा संसद मोर्चा कार्यक्रम, एक महान सफलता
30,000 बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने भाग लिया
यूएफबीयू ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा
इसे एक सफलता बनाने के लिए सभी यूनियनों तथा सदस्यों का धन्यवाद

यूएफबीयू परिपत्र :

विशाल मोर्चा : 15 सितम्बर, 2017 को, एक नया इतिहास बना जब कि यूएफबीयू के ध्वज तले, हमारी सभी घटक यूनियनों और उनके सदस्यों ने बैंकिंग उद्योग से सम्बन्धित हमारी मांगों को रेखांकित करने के लिए संसद मोर्चा कार्यक्रम में भाग लिया।

एआईबीईए, एआईबीओसी, एनसीबीई, एआईबीओए, बैफी, इन्बैफ तथा इन्बौक से सम्बन्धित हमारी यूनियनों के सदस्यों ने जुलूस में भाग लिया। 30,000 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों ने राम लीला मैदान से संसद मार्ग तक विशाल मोर्चा में भाग लिया। यह मोर्चा केन्द्र सरकार के जन–विरोधी बैंकिंग सुधार उपायों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के प्रयासों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पर्याप्त पूंजी से इंकार करना, सरकारी बैंकों का विलय करने के मंत्रिमण्डल के निर्णयों, खराब ऋणों में चिन्ताजनक वृद्धि और ऋणों को वसूल

जारी पृष्ठ 2

करने के लिए कठोर कानून जैसे कि आपराधिक कार्यवाही बनाने में सरकार की निष्क्रियता, के विरूद्ध प्रतिरोध के लिए आयोजित किया गया था।

सार्वजनिक सभा : मोर्चे का समापन एक सार्वजनिक सभा के रूप में संसद मार्ग पर हुआ जो वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के नजदीक था। सभा को निम्नलिखित नेताओं द्वारा संबोधित किया गया जिन्होंने हमारी माँगों को अपना समर्थन दिया :

- श्री दिग्विजय सिंह, सांसद एवं पूर्व मंत्री, कांग्रेस
- श्री शरद यादव, सांसद जनता दल (यू)
- श्री सुरवराम सुधाकर रेड्डी, पूर्व सांसद तथा महामंत्री, सीपीआई
- श्री सीताराम येचुरी, पूर्व सांसद तथा महामंत्री, सीपीआई–एम
- श्री अरविन्द सावंत, सांसद, शिव सेना
- श्री डी. राजा, सांसद, सीपीआई
- श्री आर.सी. खुंटिया, इंटक
- श्रीमती अमरजीत कौर, एटक
- श्री हरभजन सिंह सिद्धू, एचएमएस
- श्री तपन सेन, सांसद, सीटू
- श्री आर के शर्मा, एआईयूटीयूसी
- श्रीमती सोनिया जॉर्ज, सेवा
- श्री राजीव दिमरी, एआईसीसीटीयू
- श्री आर एस डागर, यूटीयूसी
- श्री वी वेलुस्वामी, एलपीएफ

श्री सुखेन्दु शेखर रे, सांसद, ऑल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस, श्री प्रदीप भट्टाचार्या, सांसद, कांग्रेस पार्टी तथा श्री एन के प्रेमाचन्द्रन, सांसद, रेवोल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी ने हमारी मांगों को अपना समर्थन देने वाले पत्र भेजे थे।

वित्त मंत्री के साथ बैठक :

यूएफबीयू का एक प्रतिनिधिमण्डल माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली से श्री डी. राजा, सांसद, सीपीआई के साथ मिला जिसमें निम्नलिखित सदस्य थे

साथी सी.एच. वेंकटचलम् तथा साथी बी.एस. रामबाबू (एआईबीईए)
साथी दिलीप साहा तथा साथी थॉमस फ्रेंको (एआईबीओसी)
साथी संजीव के. बन्दलीश तथा साथी विनील के. सक्सेना (एनसीबीई)
साथी एस. नागराजन (एआईबीओए),
साथी प्रदीप विश्वास (बैफी),
साथी एस.एस. सावंत (इन्बैफ) तथा
साथी के.के. नायर (इन्बौक)

जारी पृष्ठ 3

बैठक आधे घण्टे तक चली और और यूएफबीयू ने निम्नलिखित मुद्दों पर 4 ज्ञापन प्रस्तुत किये :

- सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को और सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है
- बैंकों का विलय और समेकन
- कॉर्पोरेट अनार्जक आस्तियों (एनपीए) के बड़े बट्टे खाते डालना
- बैंक ऋणों की जानबूझकर चूक को दण्डनीय अपराध घोषित किया जाये
- अनार्जक आस्तियों की वसूली पर संसदीय समिति की अनुशंसाओं को लागू किया जाये
- खराब ऋणों के लिए शीर्ष प्रबन्धन/अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करें और खराब ऋणों की वसूल करने के लिए कठोर उपाय किये जायें
- प्रस्तावित एफआरडीआई बिल को वापस लिया जाये,
- बैंकों को कॉर्पोरेट अनार्जक आस्तियों का भार सेवा शुल्कों में वृद्धि द्वारा बैंक ग्राहकों पर डालने की अनुमति न दी जाये
- सरकार द्वारा बैंकों को विमुद्रीकरण तथा अन्य सरकारी योजनाओं के मूल्यभार की प्रतिपूर्ति की जाये
- कर्मचारी/अधिकारी निदेशकों की नियुक्ति
- सकल लाभ से 3% कल्याणकारी कोष को मंजूरी दी जाये
- 11वें द्विपक्षीय समझौते के लिए स्केल-VII तक के अधिकारियों के लिए अधिकार पत्र

वित्त मंत्री ने धैर्यपूर्वक सुना और आश्वस्त किया कि सरकार का बैंकों के निजीकरण का कोई विचार नहीं है और किसी भी समय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी पूंजी 52% से कम नहीं होगी। उन्होंने अन्य सभी मुद्दों पर प्रतिनिधिमण्डल द्वारा किए गये सुझावों और दृष्टिकोणों पर गौर करने का आश्वासन दिया।

साथियों, हम सभी घटक यूनियनों और उनके सदस्यों का उनके सहयोग और मोर्चा में उत्साही भागीदारी तथा कार्यक्रम को एक महान सफलता बनाने के लिए धन्यवाद देते हैं।

ह.. एस के बन्दलीश, संयोजक

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह0...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री